



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सुरेश, रवि व ललित प्रत्येक को हुई 03 वर्ष 04 माह के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-सुरेश पुत्र राम सिंह निवासी करबा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 2-रवि पुत्र राजे निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 3-ललित पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम पाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 368/2001 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.06.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सुरेश, रवि व ललित को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष 04 माह के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर


दिनांक 10.06.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध छुरा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र गुलाम हैदर निवासी करबा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध छुरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 378 बलराज सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.06.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-तनीष पुत्र बच्चन सिंह निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-दीपक उर्फ जिगरी पुत्र नरेश निवासी ग्राम डोला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-है0का0 223 सचिन यादव थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.06.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 28 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 28 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुयी है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इशरार पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम साकल पुटठी थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 28 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 2.का0 160 अकुल सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 3.का0 751 शादाब खान थाना सिंघावली अहीर ।

